


PCPO's Sl.No.118/2019

5621  
17.07.19

No. E/171/O/ECR/HJP

Dated:- 04.07.2019

मुख्यालय डाक  
संख्या... 1653  
प्राप्ति तिथि: 19.07.19

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : रेलवे में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को शामिल करना।

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.2014 / एच-1 / 10 / 18 / पैरा मेडिकल स्टाफ

Dated: 22.03.2019

विषयवस्तु से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

सावरण  
4.7.19  
(सौरभ सावरण)

वकाधि / ई.एस.एम  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि, सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे. / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी. एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

Sr. DPO

DPO

APO I

APO II

O/LS

CBSI

Sr. DPO

S/DC

DRM

17.7.19

7  
23/7/19

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)


सं. 2014/एच-1/10/18/पैरा मेडिकल स्टाफ

नई दिल्ली, दिनांक 22.03.2019

ECR

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें तथा  
उत्पादन इकाइयां.

068163



(अनुशेष)

विषय : रेलवे में कार्यरत पैरा मेडिकल स्टाफ के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को शामिल करना

*subin*

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 15.10.2015 का समसंख्यक पत्र

बोर्ड के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 203 में रेलवे में कार्यरत कृत्रिम अंग स्टाफ के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को शामिल किया जाए.

तदनुसार भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा 203 में संशोधन करने के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची (क्र.सं. 02 स्वास्थ्य 2019) परिशिष्ट के रूप में संलग्न है.

PCMD  
PCPO  
PFA  
Add DRMs

*[Signature]*  
मुख्याधि प्रशा (श्रीमती एच.के. सनहोत्रा)  
मुख्याधि/आईआर संयुक्त निदेशक-II/स्वास्थ्य  
उप मुख्याधि/राज रेलवे बोर्ड  
उप मुख्याधि/मा  
उप मुख्याधि/आईआर

सं. 2014/एच-1/10/18/पैरा मेडिकल स्टाफ

नई दिल्ली, दिनांक 22.03.2019

प्रति :

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
3. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
4. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
5. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली.

Ch.ost/ESM  
Ch.ost/mEE

*[Signature]*  
12/3/19  
A001/mpp

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली - 2000 के पैरा 203 के लिए अग्रिम शक्ति पर्ची

रेलवे में कार्यरत कृत्रिम अंग स्टाफ के इयूटी एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

**प्रबंधक एवं वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट:**

1. अपने तकनीकी कार्य अर्थात् क्लीनिकल मूल्यांकन, मरीजों का आंकलन, एएलसी प्रभारी आर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श करके आर्थोपेडिक यंत्रों की पर्ची तैयार करने के अतिरिक्त एएलसी विभाग, तकनीकी कर्मचारी (प्रोस्थेटिस्ट एवं ऑर्थोटिस्ट) और एएलसी के तकनीकी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा
2. एएलसी के अन्य कार्यरत कर्मचारी और केंद्र के सामान्य प्रशासन का पर्यवेक्षण करेगा.
3. केविन/वार्डों का आंकलन और मूल्यांकन करने एवं ऑर्थोपेडिकली तथा न्यूरोलॉजिकली दुर्बल एवं विकलांग मरीजों को लगाए जाने वाले यंत्र एवं उपकरण लगाने के लिए दौरा करेगा .
4. ऑर्थोपेडिकली दुर्बल एवं विकलांग मरीजों के उचित फिटमेंट और बायोमैकेनिकल तथ्यों के आधार पर डिस्चार्ज करेगा.
5. ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सेक्शन के सभी मामलों, घटकों एवं सामग्री की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रगति रिपोर्ट बनाने के रिकार्डों का रखरखाव करेगा.
6. अन्य कोई इयूटी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, और वरिष्ठ डीएमओ/एसीएचडी(ऑर्थो.)(आई/सी)/एएलसी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपी गई हो, उसके द्वारा की जाएगी.

**वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट:**

1. अपने तकनीकी कार्य अर्थात् क्लीनिकल मूल्यांकन एवं मरीजों के आंकलन के अतिरिक्त एएलसी विभाग और तकनीकी कार्य का पर्यवेक्षण करेगा.
2. ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक मदों के सभी बही-खातों और भंडार का रखरखाव करेगा तथा बही में उनकी प्रविष्टि करेगा और प्रबंधक एवं प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट से परामर्श करके समय पर मांग पत्र देगा ताकि मदों की आपूर्ति कम न हो.

